

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री के०आर० खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं० — तारीख दायर तारीख फैसला
19/2017/प्रार्थना पत्र 14.02.2017 20.04.2017
उनवान

1-7 कन्हैयालाल, प्रभुलाल, गुड्डी, सीमा, पार्वती, अनिता, पूजा पिता लाला
नाई निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

8- सीता पत्नि लाला नाई निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

— प्रार्थीगण

बनाम

1- सत्तू पिता हजारी बैरवा निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

2- खाना पिता लादू कुमावत निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

3- रामकिशन पिता हजारी कुमावत निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

4- बरजी पुत्री गोकुल लोदा निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

5- चन्द्रा पत्नि निजामुदीन पिनारा निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

6- प्यारा पिता हजारी पिनारा निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

7- छोटू पिता हजारी पिनारा निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

8- सलीम पिता हजारी पिनारा निवासी हुकमपुरा तहसील फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 73 आ०न० 314, 317, 317/4031, 339, 342, 343, 344 रकबा क्रमशः 0.33 है०, 0.43 है०, 0.01 है०, 0.04 है०, 0.12 है०, 0.22 है०, 0.10 है० कुल कित्ता 07 रकबा 1.25 है० स्थित है। प्रार्थीगण की पैरा नं० 1 में वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काशत करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते हैं। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 में वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.4.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की

a



जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया संवत् 2072 से 75 खाता संख्या 73 कुल किता 7 रकबा 1.25 है० का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 73 आ०न० 314, 317, 317/4031, 339, 342, 343, 344 रकबा क्रमशः 0.33 है०, 0.43 है०, 0.01 है०, 0.04 है०, 0.12 है०, 0.22 है०, 0.10 है० कुल किता 07 रकबा 1.25 है० प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 500/- (अक्षरे पाँच सौ रुपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।



d

(के०आर० खौड़)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

d

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

d